निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस विज्ञप्ति।

उपयुक्त सुविधा/उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतू प्रस्ताव आमंत्रण

जनपद मुजफ्फरनगर मे निराश्रित, उपेक्षित व आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के उददेष्य से बच्चों के संरक्षण एवं पुर्नवास के क्षेत्र मे कार्यरत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं व्यक्तियों से किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 51 के साथ पठित नियम 27 के तहत उपयुक्त सुविधा **(FIT FACILITY)** एवं धारा 52 के साथ पठित नियम 28 के तहत उपयुक्त व्यक्ति **(FIT PERSON)** के रूप मे चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कियें जाते है।

इच्छुक संस्थायें एवं व्यक्ति अपना प्रस्ताव दिनांक 15.01.2021 की सांय 05 बजे तक विशेष पत्रवाहक या पंजीकृत डाक द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, कलैक्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को प्रेषित कर सकते है। शासनादेश एवं आवेदन पत्र की प्रति कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है, इसकी प्रति जनपद मुजफ्फरनगर की एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्राप्त प्रस्ताव के चयन में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर का निर्णय अंतिम/मान्य होगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी/
जिला बाल संरक्षण अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 2417/प्रोबे0/उपयुक्त व्यक्ति–सुविधा/विज्ञापन/2020–21 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

3–उप निदेशक/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

4–जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय कि प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला प्रोबेशन अधिकारी/
जिला बाल संरक्षण अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

Scanned with CamScanner

FORM 38

[Rule 27(2)]

APPLICATION FOR FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE

1.	**Detail of Institution/Agency/Organization which seeks recognition as fit facility**	
1.a	Name of the Institution/Agency/Organization	
1.b	Registration number and date of Registration of the Institution/Organization under the relevant Act **(Annex-Relevant documents of registration, bye-laws, memorandum of association)**	
1.c	Complete address of the Applicant/Institution/Organization	
1.d	STD code/Telephone No.	
1.e	STD code Fax No.	
1.f	E-mail address	
1.g	Whether the Organization is of all India character, if yes, give address of its branches, in other States	
1.h	If the Institution had been denied recognition earlier? If yes (i) Reference No. of application leading to denial of recognition (ii) Date of denial (iii) Who had denied the recognition (iv) Reason for denial of recognition	
2.	**Details of the proposed fit facility:**	
2.a	Complete address/location of proposed Fit Facility	
2.b	STD code/telephone No.	
2.c	STD code Fax No.	
2.d	E-mail	
3.	**Connectivity (Name and Distance from the proposed Fit Facility):**	
3.a	Main Road	

प्ररूप-38

[नियम 27(2)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित सही सुविधा हेतु आवदेन

1.	**संस्था/अभिकरण/संगठन का ब्यौरा जो सही सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है**	
1.क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम	
1.ख	प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)	
1.ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1घ	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
1.ङ	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
1.च	ई-मेल का पता	
1.छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हां तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें	
1.ज	क्या संगठन को पहले मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हां I. आवेदन का संदर्भ नम्बर जिसके फलस्वरूप मान्यता अस्वीकृत कर दी गई थी II. अस्वीकरण की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने के कारण	
2.	**प्रस्तावित सही सुविधा का ब्यौरा :**	
2.क	प्रस्तावित सही सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2.ख	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
2.ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
2.घ	ई-मेल	
3.	**संपर्क (नाम और प्रस्तावित सही सुविधा से दूरी):**	
3.क	मुख्य सड़क	

Scanned with CamScanner

3.b	Bus – stand	
3.c	Railway Station	
3.d	Any landmark	
4.	**Infrastructure:**	
4.a	No. of Rooms (Mention with measurement)	
4.b	No. of toilets (Mention with measurement)	
4.c	No. of Kitchens (Mention with measurement)	
4.d	No. of sick room	
4.e	**Annex-Copy of blue print of the building (authentic sketch plan of building)**	
4.f	Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention the kind of arrangement made: (i) Fire (ii) Earthquake (iii) Any other arrangement	
4.g	Arrangement of Drinking water **Annex-Certified from Public Health Engineering (PHE) Department.**	
4.h	Arrangement to maintain sanitation and hygiene: (i) Pest Control (ii) Waste disposal (iii) Storage area (iv) Any other arrangement	
4.i	Rent agreement/building maintenance estimate (whichever is applicable) **(Annex-copy of Rent agreement)**	
5.	**Capacity of the Fit Facility**	
6.	**Facilities Available (would depend on the purpose for which recognition as fit facility is to be given)**	
6.a	Any other facility that shall impact on the overall development of the child	

3.ख	बस-स्टैण्ड	
3.ग	रेलवे स्टेशन	
3.घ	कोई अन्य निशान	
4.	**अवसंरचना :**	
4.क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ग	रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.घ	रोगी कक्षों की संख्या	
4.ङ	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रमाणित नक्शा)	
4.च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : I. आग II. भूकंप III. कोई अन्य व्यवस्था	
4.छ	पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करे	
4.ज	साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था: I. कीट नियंत्रण II. कचरा निस्तारण III. भण्डारण क्षेत्र IV. कोई अन्य व्यवस्था	
4.झ	किराया करारनामा/भवन अनुरक्षण (जो भी लागू हो) किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	**सही सुविधा की क्षमता**	
6.	**उपलब्ध सुविधाएं (उस प्रयोजन पर निर्भर करेंगी जिसके लिए सही सुविधा के रूप में मान्यता दी जानी है)**	
6.क	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	

Scanned with CamScanner

7.	Staffing	
7.a	Detailed staff list	
7.b	Name of partner organizations	
8.	**Background of the Applicant**	
8.a	Major activities of the organization in last two years	
8.b	An updated list of members of the management committee/governing body in the enclosed format **(Annex-resolution of the annual meeting)**	
8.c	List of assets/infrastructure of the organization	
8.d	If the organization is registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 **(Annex – certificate of registration)**	
8.e	Details of foreign contribution received last two years **(Annex-relevant documents)**	
8.f	List of other sources of grant-in-aid funding (if any) with the name of the scheme/project, purpose amount, etc. (separately)	
8.g	Details of existing bank account of the agency indicating Branch Code Account No.	
8.h	Whether the agency agrees to open a separate bank account for the grant proposed	
8.i	**Annex-Photocopy of Accounts of last three years:** (i) **Auditors report** (ii) **Income and expenditure account** (iii) **Receipt and payment account** (iv) **Balance sheet of the organization**	

I have read and understood The Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act), 2015; and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

.... (Name of the Organization/Institution) has complied with all the requirements to be granted recognition as a Fit Facility under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour or an offence involving moral turpitude and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

7.	कर्मचारी	
7.क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7.ख	भागीदार संगठन का नाम	
8.	आवेदक की पृष्ठभूमि	
8.क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप	
8.ख	संलग्न प्रारूप में प्रबंधन समिति/शासी निकास के सदस्यों की अद्यतन सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)	
8.ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची	
8.घ	यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.ङ	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का ब्यौरा (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)	
8.च	स्कीम/परियोजना का नाम, प्रयोजन, राशि आदि (अलग–अलग) के साथ निधियन कर रहे सहायतानुदान के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो)	
8.छ	शाखा कोड, खाता संख्या दर्शाते हुए अभिकरण के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा	
8.ज	क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
8.झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटो प्रति संलग्न करें: I. लेखा परीक्षा रिपोर्ट II. आय एवं व्यय खाता III. प्राप्ति एवं भुगतान खाता IV. संगठन का तुलना-पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।

.... (संगठन/संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत सही सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संगठन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल श्रमिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त रहा है और कि संगठन को किसी भी समय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

Scanned with CamScanner

I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/State Act, Rules, Guidelines and Notifications in this regard.

I undertake to abide by the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time.

Signature of the Authorized Signatory: ....

Name:

Designation:

Address:

District:

Date:

Office stamp:

Signature of:

Witness No. 1: ....

Witness No. 2: ....

FORM 39

[Rule 27(4)]

CERTIFICATE OF RECOGNITION OF FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE

After perusal of the documents and on the basis of an inspection of the Institution conducted on .... the .... (Name of the Institution) is recognized as a Fit Facility under Section 51 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 with effect from .... for a period of .... years.

The Facility shall remain bound to follow the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 and regulations framed by the appropriate Government from time to time.

The Facility shall remain bound to comply with the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time.

Dated this .... day of .... 20 ....

(Signature)

(Seal)

Dated this .... day of .... 20 ....

(Signature)

Chairperson, Child Welfare Committee/Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

मैं केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

मैं समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर : ....

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

तारीख :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

गवाह नं. 1: ....

गवाह नं. 2: ....

प्ररूप-39

[नियम 27(4)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित उपयुक्त सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद और .... को संस्था के निरीक्षण के आधार पर .... (संस्था का नाम) को .... से .... वर्ष के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त सुविधा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 और उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित किए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

उक्त सुविधा किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

तारीख ....

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

तारीख ....

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति/प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

Scanned with CamScanner

11/2017/2150 संख्या– /60–1–17/1/13(94)/17

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर
03/08/17

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 01 जुलाई अगस्त, 2017

विषयः–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–51 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2015 की धारा– 51 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं धारा– 52 के अंतर्गत उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने का प्राविधान दिया गया है तथा किशोर न्याय नियमावली, 2016 के नियम–27 तथा नियम– 28 में क्रमशः उपयुक्त सुविधा एवं उपयुक्त व्यक्ति के चयन के नियम अंकित हैं।

उपयुक्त सुविधा एवं उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम–2016 के नियम–27(2) के अंतर्गत प्रारूप– 38 पर आवेदन–पत्र का प्रारूप दिया गया है तथा प्रारूप–39 पर उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) की मान्यता का प्रमाण–पत्र का प्रारूप भी अंकित है।

जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करके दो दैनिक समाचार–पत्रों में उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराकर पात्र संस्थाओं एवं व्यक्तियों से आवेदन–पत्र प्राप्त कर जिला स्तर पर कमेटी गठित कर प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्कूटनी कराकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा आदर्श नियम, 2016 के प्राविधानों के अंतर्गत चयन की कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के माध्यम से दो माह में पूर्ण करायेंगे।

कलेक्ट्रेट
मुजफ्फरनगर
डाक प्राप्ति
पत्रांक 7087
दिनांक 10/8/17

Scanned with CamScanner

वर्तमान में संचालित राजकीय गृहों या पंजीकृत व मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओ द्वारा संचालित गृहों एवं उसके संचालकों में से भी उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) का चयन किया जा सकता है। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) का चयन किया जायेगा। उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की अभिरक्षा में बच्चों के रखने की अधिकतम अवधि 30 दिन होगी, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए बच्चे की आवश्यकता के आधार पर अवधि बढाई जा सकती है। बच्चे का हित सर्वोपरि रहेगा।

1– <u>उपयुक्त सुविधा (Fit Facility)</u> :–

उपयुक्त सुविधा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों को नियम– 27(2) के अंतर्गत मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियमों, उप नियमों, संगम–ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षो के तुलन–पत्र, संस्था या संगठन द्वारा प्रदान की गयी सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि की प्रतियॉ प्राप्त कर निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

(1) उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

1. बच्चों की देखरेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति की जायेगी।
2. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) में रखे गये बच्चों को आधारभूत सेवायें प्रदान करेंगे।
3. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) में रखे गये किसी बच्चे से किसी भी प्रकार की क्रूरता/शोषण/उपेक्षा या किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार नहीं होने देगी।
4. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
5. ऐसी संस्था या संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ है या किसी अनैतिक कार्य या बच्चे से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में सम्मिलित हुआ है, तो ऐसी संस्था को उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) किसी भी संस्था को उपयुक्त सुविधा हेतु मान्यता दिये जाने का विशेषाधिकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति का होगा।

(3) किसी भी संस्था में उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता दिये जाने से पूर्व जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उपयुक्तता के दृष्टिगत किशोर न्याय नियमावली, 2016 के

Scanned with CamScanner

नियम– 27(4) के अंतर्गत निहित प्रारूप–39 के अंतर्गत समुचित निरीक्षण एवं जांच की जायेगी।

(4) किसी भी संस्था अथवा संगठन द्वारा मान्यता के संदर्भ में आवेदन करने के उपरान्त किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि में निर्णय लिया जायेगा।

(5) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन का निरीक्षण किशोर न्याय अधिनियम की धारा–54 के अधीन जिला निरीक्षण समिति के द्वारा किया जायेगा। जिला निरीक्षण समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त उपयुक्त संस्था/संगठन की मान्यता स्वतः रद्द मानी जायेगी।

(6) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन की सूची बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई के अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के पास रहेगी। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड अल्पकालिक पुनर्वास व्यवस्था हेतु उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था/संगठन में रखने के आदेश पारित कर सकती है।

(7) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन के रूप में उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जायेगा :–

1. अल्पकालिक देखरेख
2. चिकित्सीय देखरेख उपचार और विशेषीकृत उपचार
3. मनोचिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख
4. नशा मुक्ति और पुनर्वास
5. शिक्षा
6. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास
7. गवाह संरक्षण
8. सामूहिक पालन–पोषण देखरेख (Group Foster Care)

(8) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन के रूप में उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित होंगी :–

1. भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता व साफ–सफाई
2. परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप
3. प्राथमिक उपचार सहित चिकित्सीय सुविधायें तथा विशेषीकृत उपचार में सहायता
4. सेतु शिक्षा (Bridge Education) तथा निरन्तर शिक्षा सहित आयु के अनुसार उपयुक्त औपचारिक शिक्षा एवं जीवन कौशल शिक्षा

Scanned with CamScanner

5. मनोरंजन सुविधायें, खेलकूद, ललित कलायें तथा सामूहिक कार्यकलाप

(9) किसी बच्चे को उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) में उतनी अवधि के लिये रखा जायेगा, जितनी अवधि किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को उपयुक्त प्रतीत हो।

2– <u>उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person)</u> :–

किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति को मान्यता प्रदान की जायेगी, जो आवश्यक अवधि के लिये किसी बच्चे की देखभाल, संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थाई रूप से लेने के लिए उपयुक्त हो।

1. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति बच्चे को लेने के लिये उपयुक्त व्यक्ति की साख, सम्मान, विशेषज्ञता, व्यावसायिक अर्हतायें, बच्चों के साथ व्यवहार का अनुभव तथा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की इच्छा के आधार पर व्यक्तियों के पैनल अभिज्ञात करेगी तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में उनका पता लगायेगी।
2. कोई ऐसा व्यक्ति इस नियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी अथवा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल शोषण के कार्य अथवा बाल श्रम रोजगार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति नहीं बन सकता है।
3. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्कूटनी के पश्चात् पात्र व्यक्तियों की साख का सत्यापन करने के बाद, तथा जहां कहीं सम्भव हो, ऐसे किसी व्यक्ति का पुलिस सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात् बच्चों के लिये आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।
4. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) द्वारा उपलब्ध करायी गयी देखभाल तथा संरक्षण के स्तर से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से असंतुष्ट होने पर किसी भी समय उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के रूप में प्रदान की गयी मान्यता को वापस लेने का तर्कसंगत आदेश पारित करेगी।
5. उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा वापस ली गयी मान्यता की सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जायेगी।
6. वापस ली गयी मान्यता वाले उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गये बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा अथवा बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ अथवा किसी बाल देखभाल संस्था के पास रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

7. उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी व्यक्तियों की सूची किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति के कार्यालय और बाल न्यायालय, किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी में रखी जायेगी।
8. जहां बच्चे को दूरी तथा/अथवा विषम समय की वजह से किसी बाल देखभाल संस्था में नहीं भेजा जा सकता है, वहां किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा ऐसे बच्चों को उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के संरक्षण में रखा जायेगा।
9. ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की मान्यता प्रदान की जायेगी जो-
    1. बच्चे को लेने की क्षमता तथा इच्छा रखेगा, तथा
    2. बच्चे की देखभाल और संरक्षण की बुनियादी सेवायें उपलब्ध करायेगा,
10. बच्चे की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के परामर्श से किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के पास बच्चे के रखने की अवधि का निर्धारण किया जायेगा।
11. किसी बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के संरक्षण में नहीं रखा जायेगा। किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए बच्चे की आवश्यकता के आधार पर अवधि बढाई जा सकती है।
12. ऐसे मामलों में जहां बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए देखभाल की जरूरत है, वहां बाल कल्याण समिति बच्चे के पालन-पोषण, देखरेख प्लेसमेंट पर विचार करेगी अथवा बच्चे के लिये अन्य आवासीय विकल्पों पर विचार करेगी।

कृपया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम- 2015 की धारा-51 के साथ पठित नियम- 2016 की धारा-27 के तहत उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं धारा-52 के साथ पठित नियम-2016 की धारा-28 के अंतर्गत उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) का चयन कराते हुये सूचना निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्तानुसार मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) एवं उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की सूची एवं विवरण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार कराये गये MIS Software पर भी अपलोड की जानी है।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2150 (1)/60-1-17, एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

Scanned with CamScanner

1— सदस्य सचिव,राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2— निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3— समस्त प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

01-08-17
(राम केवल)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner